विद्यापत्र

बीस रुपये TWENTY RUPEES दस रुपये TEN RUPEES

208

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्र0 क0 एक / निगरानी / छतरपुर / भू–रा0 / 2017 /

I/निगरानी/छतरपुर/भू०रा०/2017/6271

श्रीमती रजनी वशिष्ठ शर्मा
द्वारा आज दि. 26/12/17 को
प्रस्तुत। प्रारंभिक तर्क हेतु
दिनांक 17.01.18 नियत।
26-12-17
क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर

1–गजाधर तनय रामाधीन तिवारी

2–राजेन्द्र प्रसाद तिवारी

3–मोहन पुत्रगंण श्री गजाधर तिवारी

निवासी–ग्राम निधौली तहसील गौरिहार

जिला छतरपुर म0प्र0

––निगरानीकर्तागंण

विरूद्व

1–रामप्रकाश तनय सुखदेव प्रसाद रिछारिया

2–मध्यप्रदेश शासन

द्वारा अपर कलेक्टर, जिला छतरपुर (म0प्र0)

––गैरनिगरानीकर्तागंण

26/12/17

26/12/17
शाखा प्रभारी (रा.मं.)
कार्यालय महाधिवक्ता, ग्वालियर

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म0प्र0 भू–राजस्व संहिता–1959 विरूद्ध आदेश दिनांक 27.10.2017 पारित द्वारा न्यायालय अपर कलेक्टर, जिला छतरपुर प्र0क0 753 / अ–6 / निग0 / 2007–08 से परिवेदित होकर प्रस्तुत है।

माननीय महोदय,

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य :–

1– यह कि, प्रकरण का सारांश इस प्रकार है कि ग्राम निधौला स्थित भूमि खसरा नम्बर 207, 332 / 1, 450 / 1, 473, 1000, 467 / 2, 448 / 3 कुल किता 7 कुल

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ 2

प्रकरण क्रमांक- एक/निग./छतरपुर/भू.रा./ 2017/6271

गजाधर आदि विरूद्ध रामप्रकाश व अन्य

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
28-01-2019	1. प्रकरण प्रस्तुत । 2. आवेदक की ओर से अभिभाषक श्रीमती रजनी वशिष्ठ शर्मा उपस्थित। आवेदक अभिभाषक द्वारा अपर कलेक्टर, जिला- छतरपुर के प्रकरण क्रमांक-753/अ-6/निग./2007-08 पुनरीक्षण में पारित आदेश दिनांक 27-10-2017 के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अधीन दिनांक 26-12-2017 को पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत की गई थी। 3. म.प्र. भू-राजस्व संहिता संशोधन अधिनियम 2018 का क्रियान्वयन राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 2-9/2018/सात/शा.6 भोपाल दिनांक 16-08-2018 के अनुक्रम में दिनांक 25-09-2018 से लागू हो गया है । उक्त अधिसूचना की धारा 54 के अनुसार – ''1. संशोधन अधिनियम 2018 के प्रवत्त होने के ठीक पूर्व पुनरीक्षण में लंबित कार्यवाहियां यथा संशोधित अधिनियम 2018 की धारा 50(1)(ग) एवं 54(क) के अधीन उन्हें सुने जाने तथा विनिश्चित किये जाने के लिये सक्षम राजस्व अधिकारी द्वारा सुनी जायेगी तथा विनिश्चित की जायेगी और यदि इस प्रयोजन के लिये अपेक्षित हो तो ऐसे राजस्व अधिकारी को अंतरित की जायेगी।'' 4. अपर कलेक्टर के द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता की धारा 50(1)(ग) एवं 54(क) के अंतर्गत पुनरीक्षण हेतु सक्षम राजस्व अधिकारी संबंधित संभागीय आयुक्त है । अत: उक्त संशोधन के फलस्वरूप इस न्यायालय में प्रस्तुत पुनरीक्षण आवेदन पर आयुक्त के द्वारा ही	

पुनरीक्षण याचिका का निराकरण किया जाना होगा ।

5. अत: उक्त नवीन संशोधन के अनुक्रम में पुनरीक्षण याचिका के निराकरण हेतु प्रकरण आयुक्त सागर संभाग, सागर को अंतरित किया जाता है। आवेदक दिनांक 18-03-2019 को इस आदेश की सत्यापित प्रतिलिपि लेकर आयुक्त सागर के न्यायालय में प्रस्तुत हो ।

6. उक्त कार्यालय का दायित्व होगा कि उक्त दिनांक से पूर्व संबंधित अभिलेख आयुक्त सागर के न्यायालय में भेजा जाये ।

7. उभय पक्ष अभिभाषक को नोट कराया जाये ।

(आर.के. जैन) 28/01/19
सदस्य